क्रम संख्या–104 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 31 अक्टूबर, 2017 ई0
कार्तिक 09, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 1582/VII–1/2017/31ख/17
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

प0 आ0–101

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 97 वर्ष 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात –

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

नियम 23 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001, जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, के नियम 23 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
23. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा : (1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, घोषणा कर सकती है।	**23. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई–नीलाम / ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टा के लिये क्षेत्र की घोषणा :** (1) राज्य सरकार या निदेशक सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा एवं ई–नीलाम/ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।
(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में पांच वर्ष से अधिक के लिये नीलाम करने या निविदा द्वारा नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रतिबंध यह है कि एक बार में स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में अवधि पांच वर्ष और नदी तल खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में एक वर्ष होगी।	(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई– निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के औद्योगिक उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) के खनन क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 2.00 है0 से 5.00 है0 हेतु 10 वर्ष, 5.00 है0 से 10 है0 तक 15 वर्ष तथा 10 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना आशय पत्र अर्थात् राज्य सरकार द्वारा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक (ऐसा सफल ई–नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो) के पक्ष में निर्गत ऐसा आदेश, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र हेतु निर्धारित समयावधि में वांछित अनुमतियां प्राप्त किये जाने का उल्लेख हो, जारी होने की तिथि से की जायेगी।
(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होगे जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।	(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होगे जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रकिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।
(4) जिला अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथास्थिति, नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा।	(4) उप नियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो तो, निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण और मात्रा का मूल्यांकन कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी तथा जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को, ई–नीलाम/ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी हेतु प्रेषित किया जायेगा।